जहाज के मालिकों की प्रतिक्रिया इस प्रस्ताव के विरुद्ध नहीं है और उनसे इस विषय में आगे बातचीत हो रही है।

आशा है कि अगले महीने में प्रमुख जहाज की कम्पनियों का एक सम्मेलन यह निर्णय करने के लिये होगा कि विशाखापटनम में किन किन नमूनों के व्यापारिक जहाज बनाया जाये।

श्री लंका की नागरिकता

६३७. श्री श्री नारायण दास :
पंडित डी० एन० तिवारी :
श्री एम० एल० अग्रवाल :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री डी० सी० शर्मा :
श्री रनबमन सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीलंका की नागरिकता के लिये भारतीय उद्भव के व्यक्तियों द्वारा किये गये कितने प्रार्थना पत्रों का चालू वर्ष के दौरान में अब तक निपटारा हो गया है ;

(ख) कितने व्यक्तियों को श्रीलंका क नागरिकता दी गई है और कितने व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र अभी तक अस्वीकृत किये गये हैं ;

(ग) कितने प्रार्थना पत्र अभी तक विचाराधीन हैं ;

(घ) भारतीय उदभव के ऐसे कितने व्यक्तियों को, श्रीलंका की नागरिकता के लिये उनके प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किये जाने के बाद अब तक भारतीय नागरिकता दी गई है; और

(ङ) ऐसे कितने प्रार्थना पत्र अभी विचाराधीन हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जनवरी से सितम्बर, १९५५ तक २१,०२७ अर्जियां अन्तिम रूप से निपटाई गई। इनमें से सिर्फ ६७६ मंजूर की गई

(ख) उसी अरसे मे २,८०० लोगों को सीलोनी नागरिकों के रूप में रजिस्टर किया गया और २०,३५१ अर्जियां रद्द कर दी गई।

(ग) १,७४,२४६ अर्जियां अभी विचाराधीन हैं।

(घ) तथा (ङ): इस बारे में केवल १ अगस्त, १९५५ से सूचना है। भारतीय नागरिकों के रूप में रजिस्टर होने के लिये अगस्त से अक्टूबर, १९५५ तक प्राप्त हुई अर्जियों में से, सिर्फ ४० लोगों ने लिखा है कि सीलोनी नागरिकता के लिये उनकी अर्जियां रद्द कर दी गई थीं। इन में से भारतीय नागरिकों के रूप में रजिस्टर होने के लिये १२ अर्जियां मंजूर कर ली गई और बाकी २८ के मामले अभी विचाराधीन हैं।

मध्य भारत में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

६३८. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विस्थापित व्यक्तियों के बसाने के लिये मध्य भारत सरकार द्वारा कितनी ग़ैर सरकारी भूमि प्राप्त की गई है ;

(ख) उसमें कितने प्रतिशत आदिम जातियों की है और कितनी दूसरों की; और

(ग) क्या इस भूमि के लिये मध्य भारत सरकार द्वारा प्रतिकर दिया गया है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) २८'१७ एकड़।

(ख) सारी भूमि आदिम जातियों के के अलावा दूसरे लोगों से प्राप्त की गई थी।

(ग) जी हां, ७४,६०३ रुपये।